संख्या–2427 /16–प्रा0शि0–3–2009–46(8)/2002

प्रेषक,

राम गणेश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश कानपुर।

व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा अनु–3 लखनऊ दिनांक 9 अक्टूबर,2009

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य में तीन वर्षीय (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठयक्रम प्रारम्भ करने एवं प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–8724/ई–एआईसीटीई/ निजी0क्षे0/ फार्मेसी दिनांक 28–8–2009 में की गयी संस्तुति पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में तीन वर्षीय (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए) डिप्लोमा स्तरीय संस्थायें खोलने, पूर्व स्थापित संस्थाओं में नये पाठयक्रम प्रारम्भ करने एवं प्रवेश क्षमता में परिवर्तन करने के विषय में शासनादेश संख्या–2697/सोलह– प्रा0 शि0– 3–2003– 46(8)/2002 दिनांक 20–12–2003, शासनादेश संख्या–1194/सोलह– प्रा0शि0–3–2007–46(8)/2002 दिनांक 29–10–2007 तथा शासनादेश संख्या–1487/सोलह–प्रा0शि0–3–2008–46(8)/2002 दिनांक 31–7–2008 द्वारा नीति निर्धारित की गयी थी। फार्मेसी काउसिंल आफ इण्डिया ने दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के विषय में दिनांक 25–6–2009 के द्वारा इस आशय की विज्ञप्ति की है कि फार्मेसी पाठयक्रम प्रारम्भ /संचालन करने से पूर्व फार्मेसी काउसिंल आफ इण्डिया का अनुमोदन आवश्यक होगा तथा शैक्षिक सत्र 2010–11 के लिए दिनांक 15–9–2009 तक संस्थाओं से प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये है। सम्प्रति इस विषय में निम्नलिखित शासनादेश समय–समय पर जारी किये गये हैः–

(अ)	(ब)	(स)
शासनादेश संख्या–2697/सोलह–प्रा0 शि0– 3–2003–46(8)/2002 दिनांक 20–12–2003	शासनादेश संख्या–1194/सोलह–प्रा0 शि0– 3–2007–46(8)/2002 दिनांक 29–10–2007	शासनादेश संख्या–1487/सोलह–प्रा0शि0–3–2008–46(8)/2002 दिनांक 31–7–2008
ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो तीन वर्षीय है, उनको प्रारम्भ करने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0 का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना विधिक रूप	दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया	दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन आवश्यक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष

master hansu

से अनिवार्य है, परन्तु डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि दो वर्षीय पाठ्यक्रम है को प्रारम्भ करने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली दोनों का ही पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य होगा। यदि डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठयक्रम को चलाने वाली संस्था को इस पाठ्यक्रम को चालू करने के पूर्व उक्त दोनों संस्थाओं का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है तो निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर ऐसी संस्था को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे और सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद ऐसी संस्था को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से किसी दशा में सम्बद्धता भी नहीं प्रदान करेगें। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई डिप्लोमा स्तरीय संस्था डिप्लोमा इन फार्मेसी का पाठ्यक्रम बिना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली एवं फार्मेसी नई दिल्ली का अनुमोदन आवश्यक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए संस्था सर्वप्रथम प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करेगी। सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त संस्था फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया का अनुमोदन प्राप्त करेगी, फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद लखनऊ से छात्रों का आवंटन किया जायेगा एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा वार्षिक परीक्षाएं सम्पन्न करायी जायेगी। फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के अनुमोदन के बिना किसी भी स्थिति में न तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा छात्र आवंटित किये जायेंगे और न ही किसी भी छात्र की वार्षिक परीक्षा कराई जायेगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद अपने सम्बद्धता पत्र में यह इंगित करेगी यदि संस्था पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इसके लिए प्रदेश सरकार/ निदेशालय /प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद किसी भी तरह से में प्रवेश की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि संस्था सोसाइटी के सचिव/प्रबन्धक द्वारा रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटरी शपथ पत्र निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर को प्रस्तुत करेगा कि डिप्लोमा फार्मेसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा समाप्त होने के पूर्व संस्था/सोसाइटी को स्वयं के स्तर से पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यदि संस्था पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा । इस संबंध में यदि छात्र/छात्राओं द्वारा मा0 न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी। उक्त शर्तो के अधीन प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए सम्बद्धता जारी करेगी। यह व्यवस्था सत्र 2008–09 से लागू होगी, जो नवीन संस्था एवं पूर्व स्थापित

काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के संचालित करती है तो इस पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में यह संस्था अवैध मानी जायेगी तथा विधि की दृष्टि में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के संबंध में उसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं होगा।	जिम्मेदार नहीं होगें, एवं प्रश्नगत संस्था द्वारा यदि कोई प्रत्यावेदन इस संबंध में दिया जाता है तो वह किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा। पुनः स्पष्ट किया जाता कि यदि कोई डिप्लोमा स्तरीय संस्था डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया नई दिल्ली के अनुमोदन प्राप्त किये बिना पाठ्यक्रम संचालित करती है तो इस पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में यह संस्था अवैध मानी जायेगी तथा विधि की दृष्टि से डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसी तरफ पूर्व स्थापित पुरानी संस्था में नया पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं प्रवेश क्षमता में वृद्वि करने पर उपरोक्तानुसार नियम लागू होगा।	संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तर एवं प्रवेश क्षमता विस्तार की स्थिति में भी समान रूप से लागू होगी। पुनः स्पष्ट करना है कि उपरोक्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किये बिना यदि कोई संस्था फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करती है तो इस पाठ्यक्रम के संचालन के संबंध में उक्त संस्था एवं संचालित फार्मेसी पाठ्यक्रम विधिक दृष्टि से अवैध रहेगी।

2– अतएव फार्मेसी काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 25–6–2009 में की गयी व्यवस्थानुसार उपरोक्त चार्ट के कालम–ब एवं कालम –स में उल्लिखित शासनादेशों के केवल फार्मेसी पाठ्यक्रम के अनुमोदन हेतु अंश को प्रभावहीन/निरस्त करने एवं कालम –अ में उल्लिखित प्रकिया को प्रभावी बनाये जाने के आदेश श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है। कृपया तदनुसार डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के प्रारम्भ करने /संचालित करने के संबंध में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम गणेश)
विशेष सचिव।

master hansu

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2— निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा।
3— अध्यक्ष एवं सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली।
4— क्षेत्रीय अधिकारी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नवाबगंज, कानपुर।
5— अध्यक्ष / सचिव, फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली।
6— अध्यक्ष / सचिव, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल आफ इंडिया, लखनऊ।
7— निदेशक, राजकीय मुद्रणालय लखनऊ को साधरण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु।
8— निदेशक, आई0आर0डी0टी0, कानपुर।
9— वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश कानपुर।
10— निदेशक, आई0ई0आर0टी0, इलाहाबाद।
11— रजिस्टार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिटस उत्तर प्रदेश विकासदीप, लखनऊ।
12— निदेशक, ए0आई0टी0एच0, कानपुर।
13— सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
14— सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
15— संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र उत्तर प्रदेश।
16— समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय /अनुदानित पालीटेकिनक एवं निजी पालीटेक्निक संस्थाओं को निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर के माध्यम से सूचनार्थ
17— प्राविधिक शिक्षा अनुभाग—1 / 2
18— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनुसचिव।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

पृ0सं0 17127-255**/ई—एआईसीटीई/निजी क्षेत्र/फार्मेसी तद्दिनांक** 12-11-**09**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. **समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, लखनऊ/पूर्वी क्षेत्र, वाराणसी/बुन्देलखण्ड क्षेत्र, झांसी/पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)।**
2. **समस्त राजकीय/अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं के प्रधानाचार्यों को।**

(राकेश वर्मा)
सहायक निदेशक।

master hansu

akb-pankaj-dn/ 85-